

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आईटी०-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: जुलाई 24

2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

वाणिज्य कर, उ०प्र०।

समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर, उ०प्र०।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-27 में प्राविधानित डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों से विभिन्न निर्देश जारी किए गये हैं।

(i) परिपत्र सं०-289/1212014 दिनांक 22-05-2012

इन परिपत्रों में से परिपत्र संख्या- 233/1213020 दिनांक

(ii) परिपत्र सं०-233/1213020 दिनांक 07-06-2012

07-06-2012 एवं परिपत्र संख्या- 295/1213027 दिनांक

(iii) परिपत्र सं०-295/1213027 दिनांक 03-07-2012

03-07-2012 में डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर

(iv) परिपत्र सं०-296/1213028 दिनांक 03-07-2012

किए गये वादों को डीम्ड कर निर्धारण माड्यूल में चिन्हित

(v) परिपत्र सं०-297/1213029 दिनांक 03-07-2012

करने की व्यवस्था सूचित की गयी थी एवं वर्ष 2009-10

के मामलों में चिन्हांकन की यह कार्यवाही दिनांक 30-06-2012 तक पूरी करने के निर्देश दिए गये थे जिसे बाद में बढ़ाकर दिनांक 20-07-2012 कर दिया गया था।

2- एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन प्रथम/द्वितीय कानपुर द्वारा इस सम्बन्ध में अपने जोन की जो प्रगति सूचित की गयी है उसके अनुसार कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009-10 के मामलों में वार्षिक रिटर्नों के जॉच की कार्यवाही विभिन्न कारणों से दिनांक 31-03-2012 के पूर्व सम्पन्न नहीं की जा सकी थी, अतः वार्षिक रिटर्नों की जॉच करके डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए जाने वाले मामलों को चिन्हित करने एवं पुनः उन्हें विभागीय सर्वर पर चिन्हांकित करने हेतु उनके द्वारा अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त सन्दर्भ में विधिक स्थिति यह है कि धारा-27 के प्राविधानों के अनुसार यदि कोई व्यापारी अपना वार्षिक रिटर्न नियमानुसार दाखिल कर देता है तो वह वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित तिथि के बाद पड़ने वाले अगले कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम तिथि को स्वतः कर निर्धारित माना जायेगा। धारा-27 की यह व्यवस्था धारा-28 के प्राविधानों के अधीन है अर्थात् यदि कोई व्यापारी धारा-28 के प्राविधानों के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कर निर्धारण हेतु चिन्हित हो जाता है तो उस पर धारा-27 के प्राविधान लागू नहीं होंगे। तदनुसार वर्ष 2009-10 के मामलों में यदि कोई वाद दिनांक 31-03-2012 तक धारा-28 के प्राविधानों के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कर निर्धारण हेतु अलग नहीं कर दिया गया है तो वह दिनांक 31-03-2012 को स्वतः कर निर्धारित हो गया है एवं इस तिथि के बाद किसी वाद को वार्षिक रिटर्न की जॉच के फलस्वरूप डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसमें से धारा-28(i)(b)(iv) के अन्तर्गत आने वाले वह मामले महत्वपूर्ण हैं जिनमें कर निर्धारण अधिकारी को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वादों को लेखा पुस्तकों की विस्तृत जॉच के उपरान्त कर निर्धारण हेतु चिन्हित करना वांछित होता है तथा ऐसे मामलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्विवेकानुसार कार्यवाही दिनांक 31-03-2012 के पश्चात नहीं की जा सकती है।

4- उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है कि अब डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए जाने के लिए अधिकारियों को वार्षिक रिटर्नों की जाँच करने हेतु अतिरिक्त समय देने का न तो कोई औचित्य है और न ही ऐसा किया जाना विधिक रूप से सम्भव है । इन्ही कारणों से परिपत्र संख्या-297/1213029 दिनांक 03-07-2012 में समस्त चिन्हांकन दिनांक 20-07-2012 तक पूरा कर लेने एवं इसका प्रमाण पत्र दिनांक 22-07-2012 तक मुख्यालय भेजने के निर्देश समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर एवं समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) को दिये गये थे । इस सम्बन्ध में किसी जोनल एडीशनल कमिशनर अथवा ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा नियत तिथि तक कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है जिसके लिए अलग से सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है परन्तु पूर्वोक्त स्थिति को देखते हुए निर्धारित समय सीमा अर्थात दिनांक 31-03-2012 के पूर्व जाँच करके चिन्हित किए गये मामलों को डीम्ड कर निर्धारण माड्चूल में चिन्हांकित करने के लिए दिनांक 31-07-2012 तक का अतिरिक्त समय दिया जाता है । साथ ही दिनांक 31-07-2012 तक वार्षिक रिटर्नों की जाँच के अभाव में चिन्हित न हो सके मामलों के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है जो दिनांक 31-08-2012 तक प्रत्येक दशा में पूरी की जायेगी :-

(क) सर्वर पर चिन्हांकित न हो सके मामलों में से कुछ मामले ऐसे होंगे जिनके तथ्यों पर आधारित होने के कारण इनमें कर निर्धारण अधिकारी को अपने किसी विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है । इस प्रकार के मामले धारा-28(a) व धारा-28(i)(b) के क्लाज (i),(ii), (iii), (v) व (vi) के अन्तर्गत आते हैं । इसके अन्तर्गत क्लाज (iv) से आच्छादित वह मामले भी आते हैं जिनमें व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित कर जमा नहीं किया गया है । ऐसे मामले डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से स्वतः बाहर हो जाने के कारण बाद में इनके सर्वर पर चिन्हांकन में कोई विधिक अड़चन नहीं है । अतः यदि ऐसे मामले पूर्व में सर्वर पर चिन्हांकित करने से रह गये हैं तो कर निर्धारण अधिकारी इन्हे सर्वर पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से चिन्हांकित करते हुए ऐसे मामलों की सूची अपने ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) को कारणों सहित उपलब्ध करायेंगे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वर पर किया गया यह चिन्हांकन अन्तिम नहीं होगा । ऐसे मामलों में ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा अपनी login पर जाकर इसका authentication करने पर ही यह चिन्हांकन अन्तिम होगा । इसके लिए ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त सूची का अपने स्तर से परीक्षण करेंगे एवं अपनी login पर उपलब्ध ऐसे मामलों की सूची में उपयुक्त पाये गये मामलों को tick करेंगे जिसके उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया चिन्हांकन अन्तिम हो जायेगा ।

(ख) सर्वर पर चिन्हांकित न हो सके दूसरे प्रकार के मामले ऐसे होंगे जो धारा-28(i)(b) (iv) से आच्छादित हैं तथा जिनमें अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्णय लेना है कि व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्न ओवर व कर के ऑकड़े विश्वसनीय हैं अथवा नहीं अथवा रिटर्न में क्लेम की गयी आई0टी0सी0 अथवा कर की गणना सही है या नहीं । ऐसे मामलों में यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 31-03-2012 के पूर्व कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इनमें केवल धारा-29 के अन्तर्गत पुनर्करनिर्धारण की कार्यवाही अथवा धारा-56 के अन्तर्गत पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा सकती है । अतः समस्त कर निर्धारण अधिकारी दिनांक 31-08-2012 के पूर्व समस्त रिटर्नों की जाँच करके प्रकाश में आये तथ्यों का समुचित उल्लेख करते हुए धारा-29 अथवा धारा-56 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु चिन्हित मामलों की सूची अपने ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) को प्रेषित करेंगे । ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) ऐसे सभी मामलों का गहन परीक्षण करेंगे एवं उनके संतुष्ट होने पर ही धारा-29 के अन्तर्गत पुनर्करनिर्धारण की कार्यवाही की जायेगी । धारा-56 के अन्तर्गत पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त पाये गये मामलों में ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा कर निर्धारण अधिकारी से समुचित प्रस्ताव प्राप्त कर स्वयं कार्यवाही की जायेगी ।

(ग) कुछ अधिकारियों द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए जाने वाले वादों के सर्वर पर चिन्हांकन में त्रुटि हो जाना बताते हुए ऐसे सही करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाये जाने का अनुरोध किया गया है । इस हेतु कर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त मामलों की सूची व त्रुटि का विवरण कारणों सहित अपने ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) को दिनांक 31-07-2012 के पश्चात उपलब्ध करायेंगे । ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) ऐसे समस्त मामलों की जाँच करेंगे एवं संतुष्ट होने पर अपनी login पर जाकर त्रुटि को दिनांक 31-08-2012 के पूर्व संशोधित कर देंगे ।

(घ) ज्वाइंट कमिशनर (कार्पोरेट सर्किल) के मामलों में ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) द्वारा की जाने वाली उक्त समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिशनर द्वारा की जायेंगी ।

5- उक्त व्यवस्था केवल 2009-10 के डीम्ड कर निर्धारण से सम्बन्धित मामलों के लिए बनायी जा रही है तथा आगे के वर्षों के लिए लागू नहीं होगी । वर्ष 2010-11 के मामलों में वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं । अतः कर निर्धारण अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह इन रिटर्नों से जॉच करते हुए डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से हटाये जाने वाले वादों का सर्वर पर चिन्हांकन नियमित रूप से करते रहें । मुख्यालय स्तर से इस कार्य की नियमित समीक्षा की जाती रहेगी तथा यदि यह पाया जायेगा कि किसी अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए गम्भीर कार्यवाही की जायेगी ।

(हिमांशु कुमार)
कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ०प०सं० व दिनांक :: उक्त ।

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, ३०प्र० शासन लखनऊ ।
- 2- एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, ३०प्र० लखनऊ ।
- 3- एडीशनल कमिशनर (विधि), वाणिज्य कर, ३०प्र० लखनऊ ।

(एम० के० सिंह)
एडीशनल कमिशनरग्रेड-२(आई०टी०) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।